

तारीख हुक्म	राजूराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) सू.अ.अपील संख्या 169/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.22	<p>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 564, मंगल नगर, गुड़ा विश्नोइयान, प.स. लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2022 में उसके द्वारा (1) कार्यालय द्वारा संधारित मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां (समयअवधि 01.03.2022 से 31.03.2022 तक) (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	